an>

Title: Need to issue bilingual caste certificate valid in both state and central government.

श्री हरीश मीना (दौसा) : अध्यक्ष महोदया, मुझे आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके समक्ष देश के युवा बेरोजगारों की समस्या को उठाना चाहता हूं। केन्द्र सरकार की नौकरी हो या राज्य सरकार की नौकरी हो, एससीज और एसटीज के छात्रों को जाति प्रमाण-पत्र देना पड़ता है एवं ओबीसीज के छात्रों को आय प्रमाण-पत्र देना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए क्रिमिलेयर की व्यवस्था है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने उनके फॉर्मेट्स अलग बना रखे हैं। चूंकि ये सर्टिफिकैट्स राज्य में बनाये जाते हैं। वह यूपीएससी हो या रेलवेज हो, केन्द्र सरकार उनको मान्य नहीं करती है।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि द्विभाषीय जाति प्रमाण-पत्र हों और वे ऐसे हों कि वे राज्य में भी मान्य हो और केन्द्र में भी मान्य हो, ताकि हमारे युवाओं को इसका लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष :

श्री रवीन्द्र कुमार जेना,

श्री पी. पी. चौधरी,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री सी.आर.चौधरी,

श्री अर्जुन लाल मीणा,

डॉ. मनोज राजोरिया,

श्री सुधीर गुप्ता और

श्री रोड़मल नागर को श्री हरीश मीना उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।